



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34508

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2326 वर्ष 2026

दिलीप

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: शीतला प्रसाद पांडे

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शीतला प्रसाद पांडे और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह ने एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि वर्तमान याचिका, इसमें मांगी गई राहत के स्वरूप को देखते हुए, विचारणीय नहीं हो सकती; विशेष रूप से तब, जब याचिकाकर्ता 'परमादेश' की मांग कर रहा है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 और 4 को यह आदेश दिया जाए कि वे प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करें। इसका आधार यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधीक्षक हैं, प्रत्यर्थी संख्या 6 स्टाफ नर्स हैं, और याचिकाकर्ता अपनी भतीजे की पत्नी (भतीज-बहू) की प्रसूति के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गया था। जिसके परिणामस्वरूप, उचित तरीके से उपचार प्रदान नहीं किया गया, बच्चे की हालत बिगड़ गई और शिशु की मृत्यु हो गई।
3. न्यायालय की राय में, इस प्रकार की रिट याचिका विचारणीय नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके लिए उपचार (कानूनी राहत) किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध है।
4. इस चरण पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी है, ताकि वे कानून के अंतर्गत उपलब्ध उचित उपचार प्राप्त कर सकें।
5. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



17 फरवरी, 2026

आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”